सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक – 10.11.2011 एवं ज्ञापांक /2905 दिनांक 11.07.14 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत डॉ0 विरेन्द्र नारायण यादव माननीय स0वि0प0 सारण द्वारा प्रखंडवार/नगरनिकायवार वित्तीय वर्ष 2018–19 अनुमोदित योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल – 01, छपरा के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पत्रांक 1922 दिनांक 27.07.2019 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। अतः कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन, कार्यप्रमंडल –01, छपरा के द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रधानाध्यापक, उ0म0वि0 माला पूर्वी, सारण, छपरा के पत्रांक 37 दिनांक 24.07.2019 द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर निम्नांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्रं0	प्रखण्ड	स्वीकृत योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय सदस्य का नाम
1	सदर	उत्क्रमित मध्य विद्यालय माला पूर्वी की चहारदीवारी एवं मुख्य द्वार का निर्माण।	669900.00	669900.00	डॉ0 वीरेन्द्र नारायण यादव
		कुल योग :–	**669900.00**	**669900.00**	

(प्रशासनिक स्वीकृति की राशि) छः लाख उनहत्तर हजार नौ सौ रुपये मात्र।

<u>कार्यकारी एजेन्सी का नाम :–</u> इन स्वीकृत योजना का कार्य विभागीय/निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल– 01, छपरा द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 5255 दिनांक 23.06.14 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार के द्वारा विभागीय/निविदा आमंत्रित कर योजना का कार्यान्वयन कराना सूनिश्चित किया जाय।

<u>कार्यन्वयन की शर्तें</u>

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नही है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नही पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरूध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी।
2. सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5225 दिनांक – 23.09.14 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजना के लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजना के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं कियां जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना–कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करें।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबधित प्रशासी विभाग को स्थानातरिंत किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

ह0/-
सहायक योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 941/यो0 दिनांक 11/09/2019

प्रतिलिपिः— कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल –01, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल छपरा, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0 सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय स0वि0प0 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

11-9-19
सहायक योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।